UPVR010001442025

Presented on : 06-01-2025
Registered on : 07-01-2025
Decided on : 30-06-2026
Duration : 1 years, 5 months, 24 days

IN THE COURT OF
Adj F.T.C.II (For trying cases of crime against women)
AT ,Varanasi
(Presided Over by Sunil Kumar -III)
Criminal Revision/12/2025

1.इन्दल बालिग पुत्र स्व० मंगला,
निवासी मौजा-बरेमा, थाना-जंसा, जनपद-वाराणसी।

.....निगरानीकर्ता।

बनाम

1.उत्तर प्रदेश राज्य बजरिये श्रीमान् जिलाधिकारी वाराणसी।
2.राम अवतार बालिग पुत्र स्व० रामनारायन,
निवासी ग्राम-बरेमा, थाना-जंसा, जनपद-वाराणसी।

.....विपक्षीगण।

निगरानी अन्तर्गत धारा-438/440 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता।
सम्बन्धित वाद संख्या-4995/2012
सम्बन्धित आदेश दिनांकित-24.12.2024
थाना-जंसा, जिला-वाराणसी।

निगरानी अन्तर्गत धारा-438/440 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

.....

निर्णय

01. प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी विद्वान विचारण न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-06 वाराणसी द्वारा वाद संख्या-4995/2012 उत्तर प्रदेश राज्य बनाम बिन्दी वैगरह में पारित आदेश दिनांकित-24.12.2024 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की गयी है।

Digitally signed by SUNIL KUMAR
Date: 2026.06.29 12:58:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

02. संक्षेप में निगरानी कागज संख्या-3क मय शपथपत्र 6ख के आधार इस प्रकार है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-24.12.2024 तथ्यों के विपरीत है। निगरानीकर्ता ने प्रार्थनापत्र धारा-216/464 दं०प्र०सं० इस आशय का दिया कि जो आरोप दिनांकित-14.05.2012 को विरचित किया गया था उसमें आरोपित घटना दिनांकित-12.05.2010 मुताबिक चार्जशीट व धारा-161 दं०प्र०सं० में सही अंकित किया गया, किन्तु घटना का समय 12 बजे दिन, लिखा है, वह गलत लिखा है, जिसे आरोप पत्र से काटा जाना न्यायसंगत है। वादी मुकदमा ने घटना का समय कुछ और बताया और विवेचक ने अपनी तरफ से एफ०आई०आर० में घटना का दिनांक व समय कुछ और अंकित कर दिया, जिसे विद्वान विचारण न्यायालय ने आरोप विरचित करते समय कानून का पालन नहीं किया। इस संबंध में उसके प्रार्थनापत्र पर त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया है। अतः निगरानी स्वीकार कर आलोच्य आदेश को अपास्त किया जावे।

03. निगरानीकर्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में-

1- एक किता विद्वान विचारण न्यायालय का आदेश दिनांकित-24.12.2024 की सत्यप्रतिलिपि कागज संख्या 4-ख/2,

04. इस न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को विस्तार से सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

05. विधि द्वारा सुस्थापित सिद्धांत के अनुसार निगरानी न्यायालय द्वारा निगरानी मामले में केवल विधिक बिन्दुओं को देखा जाना होता है। प्रस्तुत मामले में मात्र यह देखा जाना है कि क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश दिनांकित-24.12.2024 पारित किये जाने में कोई विधिक त्रुटि की गयी है अथवा नही?

06. पत्रावली में प्रपत्रों के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत निगरानी कागज संख्या-3क प्रस्तुत करके विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित-24.12.2024 को अपने अधिकारों का अतिक्रमण करके व प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध जाकर यह आदेश पारित करने का कथन किया है।

07. निगरानीकर्ता ने अपनी निगरानी में कथन किया है कि आरोप दिनांकित-14.05.2012 को विरचित किया गया था उसमें आरोपित घटना दिनांकित-12.05.2010 मुताबिक चार्जशीट व धारा-161 दं०प्र०सं० में सही अंकित किया गया, किन्तु घटना का समय 12 बजे दिन, लिखा है, वह गलत लिखा है, जिसे आरोप पत्र से काटा जाना न्यायसंगत है। वादी मुकदमा ने घटना का समय कुछ और बताया और विवेचक ने अपनी तरफ से एफ०आई०आर० में घटना का दिनांक व समय कुछ और अंकित कर दिया, जिसे विद्वान विचारण न्यायालय ने आरोप विरचित करते समय इन बिन्दुओं पर निष्कर्ष अवधारित न कर विद्वान विचारण न्ययाालय ने त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया है।

08. पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह अवधारित किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना दिनांक-12.05.2010 समय 12:00 बजे दिन की है। तहरीर में भी घटना दिनांकत-12.05.2010 समय 12:00 बजे का होना बताया गया है तथा केस डायरी में भी वादी मुकदमा व अन्य गवाहन द्वारा घटना

दिनांक-12.05.2010 को समय 12:00 बजे होने का कथन किया है। इसके अतिरिक्त समयी साक्षी द्वारा भी घटना दिनांक-12.05.2010 दोपहर का होना बताया है, जिसके संबंध में सही आरोप विरचित किया गया है तथा अभियोजन साक्षी संख्या-1 ने अपने साक्ष्य में भी घटना का दिनांक-12.05.2010 समय 12 बजे दिन का होना बताते हुए प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त न पाते हुए निरस्त किया है। इस प्रकार विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों व तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत एवं तर्कपूर्ण आदेश पारित किया है।

9. प्रस्तुत मामले में निगरानीकर्ता की ओर से सम्मानित विधि व्यवस्था **जगत सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य** AHC प्रस्तुत किया जिसमें माननीय न्यायालय ने अवधारित किया कि एफ०आई०आर० में अंकित तिथि व समय को जाँच के चरण में सुधारा नहीं जा सकता है। सम्मानित विधि व्यवस्था **पी कार्तीलक्ष्मी बनाम श्री गणेशन 2014** Sc भी इसी आशय का प्रस्तुत किया है, परन्तु प्रस्तुत मामले में विद्वान विचारण न्यायालय ने जिन उपरोक्त तर्कों के आधार पर निगरानीकर्ता का प्रार्थनापत्र खारिज किया है, वह विधिसम्मत है और तथ्यों से भिन्न होने के कारण प्रस्तुत विधि व्यवस्था प्रयोज्य नहीं है।

10. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **अमित कपूर बनाम रमेश चन्दर, (2012) 9 एस0सी0सी0 460 (पैरा 12, 13, 18 एवं 20)** में मत व्यक्त किया है कि निगरानी न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में तभी हस्तक्षेप कर सकती है, जब विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश घोर त्रुटिपूर्ण हो या विधिक प्राविधानों का अनुपालन न किया गया हो या विद्वान विचारण न्यायालय का निष्कर्ष साक्ष्य से परे हो या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग पक्षपातपूर्ण व अनौचित्यपूर्ण रूप से किया गया हो।

11. इसी प्रकार से **स्टेट फर्म कॉर्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड बनाम निज्जर एग्रो फूड्स लिमिटेड, (2005) 12 एस0सी0सी0 506** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह विधि व्यवस्था स्थापित की है कि निगरानी न्यायालय को यह क्षेत्राधिकार नही है कि वह विद्वान न्यायालय के निष्कर्षो को निरस्त कर अपना निष्कर्ष दे। धारा 397 से 401 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत निगरानी न्यायालय को सीमित अधिकार है और निगरानी न्यायालय अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य नही कर सकती।

12. उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के प्रकाश में विद्वान विचारण न्यायालय के प्रश्नगत आदेश के गम्भीरतापूर्वक अवलोकन से इस निगरानी न्यायालय की राय में उक्त प्रश्नगत आदेश तर्कसंगत, विधि सम्मत् एवं न्याय के प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुक्रम में है और विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार का विधि सम्मत् प्रयोग करते हुए ही प्रश्नगत आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई औचित्यहीनता या अवैधानिकता प्रतीत नहीं होती है। अतः निगरानी न्यायालय विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित-24.12.2024 में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाती है। परिणामतः यह दाण्डिक निगरानी आधारहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या-12/2025 इन्दल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य निरस्त की जाती है। विद्वान विचारण न्यायलय का प्रश्नगत आदेश दिनांकित-24.12.2024 पुष्ट किया जाता है। इस निर्णय की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में रखकर नियामानुसार

अविलम्ब प्रेषित किया जावे। इस दाण्डिक पुनरीक्षण की पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः-30.06.2026

(सुनील कुमार III)
अपर जिला न्यायाधीश, (एफ0टी0सी0),
न्यायालय सं.-2 वाराणसी।
यू0पी0-01826

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवम् दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांकः-30.06.2026

(सुनील कुमार III)
अपर जिला न्यायाधीश, (एफ0टी0सी0),
न्यायालय सं.-2 वाराणसी।
यू0पी0-01826

Steno-Dilip Keshari